वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 02.07.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",दैनिक जागरण, अमर उजाला ,," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 02.07.2025

एचएफएल क्षेत्र में 15 दिनों में मिलेगी मरम्मत की अनुमति

आनलाइन आवेदन की व्यवस्था, जोनल अधिकारी देंगे रिपोर्ट

- चंदौली और बनारस की पांच लाख आबादी रहती है हाई फ्लड लेवल क्षेत्र में
- पांच दशक में भौगोलिक स्थिति काफी बदली, इलाका ऊंचा होने से बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बनारस और चंदौली (वीडीए सीमा) में गंगा किनारे गांवों, मुहल्लों और बस्तियों में पांच लाख से अधिक आबादी बसी है। इनके लिएं राहत की खबर है। यहां वाराणसी विकास प्राधिकरण ने मकानों की मरम्मत के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए भवन स्वामी को वीडीए की शर्तें पूरी करनी होंगी। प्रक्रिया पूरी होने के साथ 15 दिनों के अंदर एनओसी मिल जाएगा। आवास एवं शहरी नियोजन प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद के आदेश के क्रम में वीडीए ने आनलाइन आवेदन की व्यवस्था बनाई है।

वर्ष 1978 में आई बाढ़ में चंदौली के कटेसर, साहूपुरी समेत कई गांवों, बनारस के रामनगर, गोदौलिया चौराहे से लक्सा थाने तक पानी पहुंच गया था। उस दौरान सूरत की एक एजेंसी की रिपोर्ट पर वीडीए ने हाई फ्लड लेवल (एचएफएल) क्षेत्र घोषित किया था।

पांच दशक में भौगोलिक स्थिति काफी बदल गई है। इलाका ऊंचा होने के साथ अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है लेकिन एचएफएल क्षेत्र होने के चलते नए निर्माण पर रोक है। विकास प्राधिकरण नक्शा पास नहीं कर सकता है। रामनगर क्षेत्र में गंगा के पानी को रोकने के लिए विभिन्न पुलिया पर सिंचाई विभाग की मदद से छह फ्लैपर गेट बनवाए गए हैं। इसके लिए वीडीए ने सिंचाई विभाग को 52 लाख रुपये दिए थे। जर्जर व पुराने भवन की रिपोर्ट जोन के जोनल अधिकारी के जरिए वीडीए सचिव के पास पहुंचेगी। नए निर्माण के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा। वीडीए ने फ्लाइविंग इंटरप्राइजेज से ड्रोन सर्वे कराया था।

शहर में प्रभावित क्षेत्र

गोदौलिया, कोदई चौकी, जंगमबाड़ी, मदनपुरा, पांडेय हवेली, सोनारपुरा, शिवाला, भदैनी, अस्सी, रविंद्रपुरी, रमापुरा, लक्सा, कमच्छा, रेवड़ी तालाब, गौरी गंज, भेलूपुर, चेतमणि, गुरुधाम आदि।

मुगलसराय से रामनगर

साहूपुरी, कटेसर, रामनगर, सेमरा, पड़ाव का कुछ हिस्सा, चौरहट, रतनपुर आदि।

इन प्रपत्रों को देना होगा

तीन कापी नक्शा, मकान के 10 फोटो, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, खतौनी, 200 मीटर फार्म, रजिस्ट्री पेपर, सजरा प्लान।

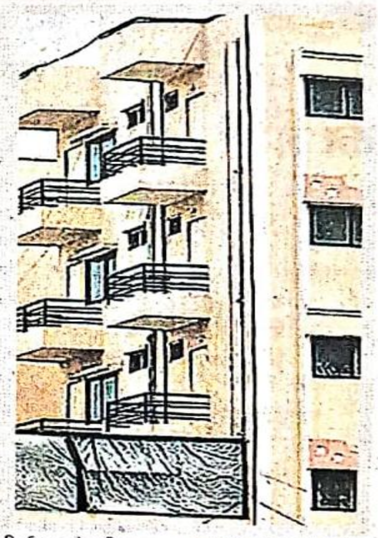

> एचएफएल क्षेत्र में पुराने या जीर्ण–शीर्ण भवनों की मरम्मत के लिए शर्तों पर एनओसी दिया जाएगा। नए निर्माण पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस आदेश का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
>
> – पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला –दि0 2.07.2025

पांच बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। वीडीए ने मंगलवार को सारनाथ के संदहा में 5 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। जोनल अधिकारी प्रकाश एवं अवर अभियंता विनोद कुमार की ओर से कार्रवाई गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो